

M871/D.No - 1305  
28/3/14

[TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF  
INDIA EXTRAORDINARY]  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF FINANCE**  
Department of Revenue  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**Notification**

New Delhi dated the 28<sup>th</sup> March, 2014

S.O. (E) Whereas, the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) in exercise of the powers under the Industrial Park Scheme, 2002 (hereinafter referred to as the Scheme), as notified vide number S.O.354 (E) dated the 1<sup>st</sup> April 2002, through the Empowered Committee had granted approval to the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s Creative Infocity Ltd., Gandhinagar at Indroda Circle, Gandhinagar, Gujarat, as an Industrial Park;

And, whereas, the Gujarat High Court in its order dated 21.2.2012 in Special Civil Application 9247 of 2011 had directed the Central Board of Direct Taxes to notify the aforementioned industrial park for the benefit under section 80-IA in terms of rule 18C(4) of the rules within one month from the date of the Court order without any further inquiry, subject to the condition that the Commerce Ministry does not revoke the approval already granted;

And, whereas, in consequence to the same, the Central Government (Ministry of Finance, Department of Revenue, CBDT) in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Act') had notified the said undertaking being developed and being maintained and operated by M/s Creative Infocity Ltd. as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii), vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, vide No. S.O. 1121, dated the 22<sup>nd</sup> of March 2012 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), **subject to the final decision regarding revocation by the Ministry of Commerce of the approval already granted vide letter No.15(3)/2001-IP&ID dated 21.6.2001;**

Ms. Rekha  
31/3/14

And, whereas, subsequently the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) vide letter No.12/2/2011-ID-II/Vol-II dated 3<sup>rd</sup> March, 2014 has withdrawn the said approval granted to the undertaking under the Scheme;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Act read with section 21 of the General Clause Act, 1897 (10 of 1897), hereby rescinds the said Notification No. S.O. 1121 dated 22<sup>nd</sup> March 2012 with effect from 22<sup>nd</sup> March 2012.

[Notification No. 22 /2014. F.No.178/25/2005-ITA-I]



(Surabhi Sharma)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri, New Delhi-110064.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2014

का.आ. (अ) जबकि केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के कानूनी आदेश सं. 354(अ) द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा जाएगा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकार प्राप्त समिति के जरिए इन्द्रोदा सर्किल गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स क्रिएटिव इन्फोसिटी लि., गांधीनगर द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को एक औद्योगिक पार्क के रूप में अनुमोदन प्रदान किया था;

और जबकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने विशेष सिविल आवेदन 2011 का 9247 में दिनांक 21.2.2012 के अपने आदेश में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमावली के नियम 18ग(4) के निबंधनों के अनुसार धारा 80-झक के अन्तर्गत लाभ उठाने के लिए उपर्युक्त औद्योगिक पार्क को आगे और कोई जांच-पड़ताल किए बिना, इस शर्त के अधीन कि वाणिज्य मंत्रालय पहले दिए गए अनुमोदन का प्रतिसंहरण नहीं करता है, न्यायालय के आदेश की तारीख के एक माह के भीतर अधिसूचित करने का निदेश दिया था;

और, जबकि, उपर्युक्त के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स क्रिएटिव इन्फोसिटी लि., गांधीनगर द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 22 मार्च, 2012 के का.आ. संख्या 1121 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,

राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 21.6.2001 के पत्र सं. 15(3)/2001 आईपीएंडआईडी द्वारा पहले प्रदान किए गए अनुमोदन के प्रतिसंहरण के बारे में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित किया था।

और जबकि, तदन्तर, केन्द्र सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 3 मार्च, 2014 के पत्र सं. 12/2/2011-आईडी-11/खंड-11 के द्वारा स्कीम के तहत उपक्रम को प्रदान किए गए उक्त अनुमोदन को वापस ले लिया है।

अतः अब केन्द्र सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 22 मार्च, 2012 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1121 को 22 मार्च, 2012 से रद्द करती है।

(अधिसूचना सं. ११/2014 फा.सं. 178/25/2005-आयकर नि.1)

सुरभि शर्मा

(सुरभि शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली-64